NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindustan Times, Delhi, 15/01/2026

Page No: 16, Size: 6.51cm × 10.45cm

NHRC four-week Winter Internship concludes

NHRC's four-week WIP concluded with 80 students selected from over 1,400 applicants. Chairperson Justice V Ramasubramanian said the programme seeks to broaden thinking, inspire curiosity and encourage personal growth through reflection and purposeful learning.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Jagran, Agra, 15/01/2026
Page No: 07, Size: 20.45cm × 15.37cm

थाने में थर्ड डिग्री पर एक्शन में मानवाधिकार आयोग, पुलिस आयुक्त को भेजा गया नोटिस

हत्या का जुर्म कुबूल कराने के लिए किरावली थाने में युवक पर बरपाया था कहर

जासं, आगरा: हत्या का जुर्म कुबूल करवाने के लिए निर्दोष युवक को उल्टा लटकाकर थर्ड डिग्री देने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से एक्शन हुआ है। आयोग ने पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर 18 फरवरी तक रिपोर्ट तलब की है। 19 फरवरी से आयोग प्रकरण में कार्रवाई करेगा।

किरावली के गांव करहरा निवासी वनवीर सिंह फौजी की पिछले वर्ष पांच अगस्त को हत्या कर दी गई थी। उनका शव घर में ही मिला था। हत्या के इस मामले में किरावली पुलिस ने 21 दिसंबर को पड़ोसी युवक राजू पंडित को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। इसके बाद युवक पर पुलिस का गुस्सा कहर बनकर टूटा। शाल से पैर बांधने के बाद युवक को उल्टा लटकाकर थर्ड डिग्री दी गई। युवक को डंडों से इस कदर पीटा गया था कि उसके दोनों पैर टूट गए थे। इस मामले में एसओ नीरज कुमार, दारोगा धर्मवीर सिंह और बीट सिपाही रवि मलिक को निलंबित किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता नरेश पारस ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की थी। इसके बाद आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज किया गया है। नरेश पारस ने बताया कि राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से इस मामले में पुलिस आयुक्त दीपक कुमार को नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने पुलिस आयुक्त ने मामले की रिपोर्ट 18 फरवरी तक तलब की है। इसके बाद 19 फरवरी से आयोग इस मामले में कार्रवाई शुरू करेगा।

अस्पताल में भर्ती पुलिस की पिटाई से घायल राजू पंडित ● जागरण आर्काइव

आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं

मामले में पीड़ित राजू पंडित के पिता राधेश्याम शर्मा ने तत्कालीन एसओ किरावली नीरज कुमार, दारोगा धर्मवीर सिंह और बीट सिपाही रवि मलिक के खिलाफ डीसीपी पश्चिम जोन अतुल शर्मा को तहरीर दी थी। तहरीर दिए हुए 20 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

Source: https://www.barandbench.com/Law-School/moot-courts/nlu-delhi-wins-nliu-nhrc-moot-court-competition-2026

NLU Delhi wins NLIU-NHRC Moot Court Competition 2026

The moot proposition dealt with problems at the intersection of human rights and criminal law.
Hiranya Bhandarkar
Published on: 14 Jan 2026, 12:19 pm
1 min read
National Law University, Delhi (NLU Delhi) won the 1st National Law Institute University (NLIU) - National Human Rights Commission (NHRC) Moot Court Competition, 2026 held from January 9-11, 2026.
The winning team comprised Kanishka Mittal, Unnati Padela and Manisha Choudhary.
The runners-up team from NALSAR, Hyderabad included Abhisaar Singh, Pracheta Waikar and Aarsh Pandey.
Abhisaar Singh was also awarded the Best Speaker.
The team from Symbiosis Law School, Noida comprising Babhravi Singh, Vrinda Kamra and Aditi Singh won the Best Memorial (Petitioner).
Devika Deshkar, Aarzoo Ansari and Sheen Wanchoo from Hidayatullah National Law University, Raipur won the Best Memorial (Respondent) award.
The moot proposition dealt with problems at the intersection of human rights and the new criminal laws.
The final round was judged by a bench of judges from the Madhya Pradesh High Court - Justices Vivek Agarwal and Vijay Kumar and Vishal Dhagat; as well as NHRC Registrar Joginder Singh; NLU Delhi Vice-Chancellor Prof GS Bajpai; NLU Odisha Adjunct Professor Dr Satyajit Mohanty; and Supreme Court Senior Advocate Nitya Ramakrishnan.

Source: https://www.bhaskarenglish.in/national/news/railway-board-report-train-meat-halal-jhatka-nhrc-notice-136945373.html

NHRC issues notice on non-vegetarian food served on trains:Railway Board asked for report within 4 weeks if train meat is 'Halal or Jhatka'

1 hour ago

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Railway Board and the Secretary of the Ministry of Tourism over the serving of non-vegetarian food on trains.

In a letter issued on Monday (January 12), the NHRC said the report submitted by the Railways on non-vegetarian food served on trains was incomplete and lacked key details. The Commission has asked the Railway Board to submit a fresh report within four weeks.

The NHRC acted after receiving a complaint from Sikh organisations claiming that only halal-prepared meat is served in non-vegetarian meals on trains. The complainants said this practice is discriminatory. Following the complaint, the NHRC issued a notice to the Railway Board.

4 major points of NHRC notice

The railway report does not clearly answer the issue. Passengers have a fundamental right to know how the food served to them is prepared.

According to Darul Uloom Deoband, meat is considered halal only if it is slaughtered by a Muslim. This raises concerns that job opportunities for people from other religions may be restricted.

Details about how meat is prepared should be made public. The Sikh Rehat Maryada forbids Sikhs from consuming halal meat.

IRCTC works with many vendors and contractors on trains, at stations, and in hotels and restaurants. However, the railway report does not clearly explain which contractors serve halal meat, jhatka meat, or both.

NHRC sought three pieces of information

A complete list of all food vendors and contractors must be provided.

It should be clearly stated what type of meat (halal, jhatka, or both) each contractor supplies. Details should be given on which trains and stations this food is being served.

The Commission has also asked the Railway Board to submit a separate report explaining how these concerns will be addressed in railway quality and service standards.

Railway’s response- No official rule on Halal

Earlier, the Railway Board said that Indian Railways and IRCTC follow the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) rules. It stated that there is no official policy or system for serving halal-certified food on trains.

The issue had earlier been raised before the Central Information Commission (CIC), where it was found that there is no record of any policy, approval process, or passenger consent related to halal food.

Ministry of Tourism asked to respond to hotel rules

The NHRC noted that the Ministry of Tourism’s hotel rating and classification rules do not include any requirement to mention how meat is prepared. The Commission has asked the Tourism Secretary to review the matter and submit a report within four weeks.

Source: https://www.outlookindia.com/amp/story/national/is-scrapping-10-minute-delivery-enough-to-end-gig-workers-exploitation

Is Scrapping 10-Minute Delivery Enough To End Gig Workers' Exploitation?

Gig worker representatives say extreme delivery timelines fuel rash driving, accidents and algorithmic penalties
Ainnie Arif | Updated on: 14 January 2026 4:12 pm

Summary
India's labour ministry has ended the 10-minute delivery system used by quick-commerce platforms following nationwide gig worker protests
NITI Aayog's 2022 report projects that the gig workforce will expand to 2.35 crore by 2029–30
Without clearer labour definitions platforms may simply rebrand ultra-fast deliveries under new timelines

India's labour ministry on Tuesday did away with the 10-minute delivery system on which platforms like Blinkit, Zepto, Zomato and Swiggy thrive.

The move came after the gig-workers across the country held a strike on December 31, raising concerns of exploitative nature of work. However, their long-standing demand of removing the time-frame for deliveries is not standalone.

The actions taken by the Labour ministry are surely welcome, said Sunand, President of Rajdhani App Workers Union.

He also flagged broader concerns about how the government's directives would be implemented, including whether any changes would be made to the mobile applications used by delivery workers to display delivery timeframes.

Inside dark stores—retail outlets or distribution centres designed for e-commerce—supervisors continuously track delivery times. Although there is no empirical evidence, Sunand said that failing to meet delivery timelines can negatively influence the algorithm via supervisory assessments and poor customer reviews, ultimately affecting the number of orders assigned to delivery workers.

However, secondly, there are other grievances which require immediate addressal, he added.

He further said the government's actions must also be seen in the context of concerns that the 10-minute delivery model is hurting brick-and-mortar stores.

Given that political parties may have vested interests in protecting such businesses, the outcome has emerged as a welfare measure for gig workers, even if that was not the original intent. "It's not only because of concern for the delivery workers, but also because of concerns raised by traders and their associations."

Suman Dasmahapatra, the Karnataka coordinator of the AIGWU, also welcomed the government's move.

Nonetheless, he seconded Sunand on more concrete directives that should be implemented immediately.

10-minute delivery promises push gig workers to drive rashly, and in the event of accidents, platform companies would merely provide a list of hospitals where the treatment would be covered by the company.

"How do you expect workers to find a hospital on the list in case of accidents," Dasmahapatra said. The process of getting reimbursement after being treated at a non-enlisted hospital is really difficult, he added.

"They try to manipulate multiple ways to get away from providing such kinds of benefits," he stated, noting that the bigger fight is to ensure that gig-workers get the status of employees, rather than "partners".

"We have noticed that such business models are followed by Flipkart and Amazon as well. Instead of just verbal notices, formal communication should go to the companies and governments should take initiative to create awareness amongst the gig workers," he said.

The fine print

Gig workers were formally brought into India's legal framework through the Code on Social Security, 2020. Under Chapter I, Section 2(35), a gig worker is defined as "a person who participates in a work arrangement and earns from such activities outside of a traditional employer-employee relationship."

Although the definitions distinguish gig workers from both formal and informal categories, they stop short of offering clarity on who exactly qualifies as a gig worker or the precise nature of gig work.

The country's labour codes have opened access to schemes covering healthcare, disability and accident insurance, as well as old-age support. Aggregators such as Swiggy and Zomato will be required to contribute 1–2 per cent of their annual turnover to this fund, with the overall contribution capped at 5 per cent of the amount payable to workers.

A booming market

NITI Aayog's 2022 report, India's Booming Gig and Platform Economy, projects that the gig workforce will expand to 2.35 crore by 2029–30 from the 21, 77 lakh in 2020.

Yet, despite such forecasts and attempts at formal definitions, India's primary source of labour statistics — the Periodic Labour Force Survey (PLFS) — continues to subsume gig work under broad categories such as 'self-employed', 'own-account workers', or 'casual labour'. This statistical invisibility has tangible consequences.

Data from Datum Intelligence shows that the growing adoption of the 15-minute delivery option for grocery delivery quick commerce was expected to reach $6.9 billion by 2025 accounting for 50 per cent of online grocery sales.

Blinkit remained the largest player with 40 per cent market share in 2023 followed by Swiggy Instamart and Zepto.

What's in a name?

After the government's Tuesday (January 13, 2026) announcement, Blinkit has rebranded its offering from "Grocery in 10 minutes" to "Groceries & more", according to the internet archive website Wayback Machine, Reuters reported.

On Google's Play Store, Zepto now brands itself as delivering 'Groceries in minutes'. However, Tata's BigBasket still carries the '10 min Grocery App'.

"We are happy to see that the government has taken the initiative and has acted upon our primary request to end the 10-minute delivery model," said Nirmal Gorana, National Coordinator of Gig and Platform Service Workers Union (GIPSWU).

However, he stated that the actions need to be formalised beyond verbal affirmations, as lack of mandated rules for platform companies leaves room for exploitation. "The companies can simply make it a 11-minute delivery application, it would be a cruel joke at the expense of the gig-workers."

A grey zone

The existence of time caps puts gig-work in the grey area of forced labour. GIPSWU wrote to the National Human Rights Commission in regard that "labour practices in India's gig economy constitute forced labour, in violation of Article 23 of the Constitution of India."

The notice stated that target-based incentives and extreme time-bound work create fear of losing incentives and "transform "choice" into compulsion, meeting the ILO threshold for forced labour through non-physical coercion."

This is further intensified by ultra-fast service models, exacerbating mental and physical harm for gig-workers.

While the government has taken affirmative action to address the issues raised in the gig-economy sector, Dasmahapatra said that "it is a systemic problem in the entire economy because the organised sector is shrinking very rapidly." As a result of unemployment, more people end up joining gig-work as a temporary measure, but have to stay on for longer than anticipated.

Supply is exceeding the demand, and the platform companies are exploiting the workers as there is no strict regulation in India on how to monitor such kind of exploitation or regularise the working condition of the platform workers, he said.

"And even as users, they are making us get so used to these things the ease of just ordering something and getting it at your doorstep," he said, adding that we need to raise awareness amongst the consumers as well.

Source: https://www.outlookindia.com/national/indore-water-crisis-audit-links-contaminated-supply-to-15-deaths

Indore Water Crisis: Audit Links Contaminated Supply to 15 Deaths

Bhagirathpura outbreak sickened over hundreds of residents when sewage leaked into drinking water.
Fozia Yasin | Updated on: 14 January 2026 11:05 am
Summary of this article
Hundreds of residents affected and hospitalised, including ICU patients.
Sewage seeped into drinking water from a leaking pipeline under a public toilet.
Experts and civil society groups warn of systemic water governance failures and demand stricter monitoring.
An audit report submitted to the Indore administration has linked at least 15 of the 21 deaths in Bhagirathpura to a recent outbreak of vomiting and diarrhoea, sources said. The outbreak, caused by contaminated drinking water, has also left five new patients hospitalised, including eight in intensive care, according to Indore Chief Medical and Health Officer (CMHO) Dr Madhav Prasad Hasani.
The children and adults affected sought treatment at local outpatient departments, and 403 of the 436 admitted patients have since been discharged, Dr Hasani added. While the local administration has officially confirmed six deaths due to the outbreak, residents claim that as many as 23 people, including a six-month-old child, have died.
A committee of senior doctors from the Mahatma Gandhi Memorial Medical College was tasked with auditing the deaths in Bhagirathpura.
“A committee of senior doctors from the college was formed to analyse the causes of the deaths in Bhagirathpura. This committee has submitted its report,” District Magistrate Shivam Verma said on Tuesday. He added that while some fatalities were likely linked to contaminated water, others were unrelated, and in some cases, the actual cause of death could not be conclusively determined.
The district administration has so far provided financial assistance of ₹2 lakh each to 18 affected families. “All the deaths in Bhagirathpura are very sad, regardless of the cause. We are consoling the affected families and providing them financial assistance,” Verma said.
Source of Contamination
Investigations revealed a preventable source of contamination: a public toilet constructed at a police outpost directly above a 30-year-old drinking water main. Without a proper septic tank, raw sewage drained into a pit, seeping into a leaking joint in the water pipeline and contaminating the municipal supply.
Laboratory tests confirmed the presence of multiple pathogens, including E. coli, Salmonella, and Vibrio cholerae. Experts say these pathogens can cause severe gastrointestinal illness, sepsis, and organ failure, particularly among children, the elderly, and immunocompromised individuals.
Human Toll
While authorities acknowledge at least four deaths, independent reporting and local accounts suggest the toll may be significantly higher. Over a thousand residents were affected, overwhelming local healthcare facilities and exposing gaps in disease surveillance and emergency response. Residents had raised complaints about foul-smelling and discoloured water days before the outbreak escalated. Yet corrective action—including testing and emergency chlorination—began only after widespread illness had already occurred.
Expert On Water Safety
Dr Sunderajan Krishnan, a water-quality expert, told India Water Portal: “Communities often think ‘all is well’ because the water looks clear, but cross-contamrination with sewage (or nitrates) is often invisible until it becomes fatal.”

Krishnan added that treatment plants can meet regulatory standards while households still receive unsafe water: “Also, simply having a ‘tap connection’ does not mean security if the pipes run through sewage drains—a common sight in Indian urban clusters.”

Dr Sachin Tiwale, Fellow at the Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), highlighted systemic challenges in urban water networks: “In cities with intermittent water supply, even small structural defects become major contamination points during non-supply hours, when pipes operate under negative pressure. Incidents such as Indore often trigger a renewed focus on technology-centric solutions, including residual chlorine sensors and network redesigns. While these tools can certainly play a role, they risk diverting attention from more fundamental questions of water quality governance, which are often the real weak link. We need a water quality governance framework. No level of technological sophistication can substitute for an institutionalised water quality governance framework. Crucially, these governance procedures are not capital-intensive, unlike technological interventions that are often promoted as quick-fix solutions.”

Administrative Actions

In response to the crisis, the Chief Minister ordered the removal of the Municipal Commissioner and the suspension of senior engineers for gross dereliction of duty. The National Human Rights Commission took suo motu cognisance, and judicial intervention ensured free medical treatment for affected residents.

The outbreak in Bhagirathpura underscores the persistent vulnerabilities in urban water infrastructure and governance, highlighting the human cost of administrative lapses in even India’s “cleanest city”, according to activists.

Source: https://www.pressreader.com/india/the-free-press-journal/20260114/281814290254477

NHRC swings into action as students call out mining ops
In their complaint, the students of a Ratnagiri school asserted that their learning and health are getting impacted due to dust and noise pollution

The Free Press Journal
Pranali Lotlikar
14 Jan 2026
The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of a complaint filed by students of an Urdu school in Mandivali village of Ratnagiri district, alleging violation of their fundamental rights due to dust and noise pollution caused by nearby bauxite mining operations.

A bench of the commission, presided over by member Priyank Kanoongo, has directed its registry to issue notices to the district magistrate, Ratnagiri, and the chairman of the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), Mumbai. Both authorities have been asked to inquire into the allegations and submit an action taken report by January 20.

The complaint was submitted by social activist Bhavesh Karekar on behalf of the students. It alleges that continuous movement of heavy dumpers transporting bauxite ore from the Rowale and Umbershet mining sites has created severe dust and noise pollution in and around the school. According to the students, the constant commotion of mining vehicles passing close to the school has disrupted classes and adversely affected their health and learning environment.

The students highlighted serious health concerns such as respiratory problems, allergies, asthma and potential long-term lung damage. They contended that this amounts to a violation of Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life, including the right to a clean and healthy environment.

The complaint also pointed to infringement of the right to education under Article 21A, as the noise caused by frequent movement of heavy vehicles allegedly hampers classroom teaching, students' concentration and the overall learning atmosphere.

Further, the students expressed alarm over the proposed Mandivali mining boundary being barely 100 metres from the school, terming it a grave threat to the physical safety, mental wellbeing and environmental security of children. They argued that permitting mining activity so close to an educational institution is contrary to basic principles of child safety and environmental justice. The complainants also alleged that despite repeated representations to local and district authorities, no effective steps were taken.

The students urged the NHRC to direct authorities to immediately halt mining transportation near the school during school hours, order an independent inspection of dust and noise pollution levels around the school, and ensure that no mining activity or transportation is allowed in the vicinity of educational institutions.

The NHRC observed that the issues raised prima facie appear to involve violations of human rights, and has taken

cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The commission will now examine the matter and appropriate actions will be taken once they receive reports from the district administration and the pollution control board.

Source: https://www.tribuneindia.com/news/delhi/delhi-hc-to-resume-hearing-on-sit-pleas-in-delhi-riots-jamia-violence-on-jan-23/amp

Delhi HC to resume hearing on SIT pleas in Delhi riots, Jamia violence on Jan 23

The cases, filed in 2020, raise serious allegations of hate speeches by political leaders, police inaction and excesses and demand accountability through an SIT or an independent agency
Shekhar Singh
New Delhi, Updated At : 04:45 AM Jan 15, 2026 IST
The Delhi High Court on Wednesday revived the long-pending petitions seeking an independent and court-monitored probe into the 2020 North East Delhi riots and the violence that erupted at Jamia Millia Islamia during protests against the Citizenship Amendment Act, listing the batch for further hearing on January 23.The cases, filed in 2020, raise serious allegations of hate speeches by political leaders, police inaction and excesses and demand accountability through an SIT or an independent agency.A Division Bench of Justice Navin Chawla and Justice Ravinder Dudeja noted that the matters were already “part heard” before a coordinate bench. As the petitions were placed before them for the first time, the judges took note of an earlier order dated December 11, 2025, which had directed that the matters be listed next for further arguments.Observing that judicial propriety required continuity, the Bench said the petitions would be listed before the same bench that had earlier heard the matter. “The order says list for further arguments. We are listing it before the same bench for propriety reasons,” the court said, while directing that the cases be placed before a Division Bench headed by Justice Vivek Chaudhary on January 23, subject to orders of the Chief Justice.
The batch of petitions seeks an independent SIT investigation into the 2020 riots in North East Delhi, which left over 50 people dead, as well as the 2019 violence at Jamia Millia Islamia. The pleas also seek the registration of FIRs against political leaders for alleged hate speeches and action against police officers accused of failing to prevent the violence or of using excessive force.
One of the petitions, filed by Shaikh Mujtaba, seeks the registration of FIRs against BJP leaders Kapil Mishra, Anurag Thakur, Parvesh Verma and Abhay Verma, alleging that their speeches incited violence. The plea also seeks action against errant police personnel.
Another petition by Lawyers Voice seeks action over alleged hate speeches by a wide range of political leaders and public figures cutting across party lines. The names cited include Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, former deputy chief minister Manish Sisodia, AAP MLA Amanatullah Khan, AIMIM leaders Akbaruddin Owaisi and Asaduddin Owaisi, former AIMIM MLA Warris Pathan, activist Harsh Mander, actor Swara Bhasker, student leader Umar Khalid, lawyer Mehmood Pracha and former Bombay High Court judge B G Kolse Patil, among others.
CPM leader Brinda Karat has also approached the court, seeking an independent investigation into complaints alleging offences and atrocities by members of the Delhi Police, the Rapid Action Force and other state functionaries during the riots.
Another petitioner, Ajay Gautam, has sought a probe by the National Investigation Agency into the alleged funding and sponsorship of protests against the Citizenship Amendment Act. He has also sought FIRs against leaders such as Waris Pathan, Asaduddin Owaisi and Salman Khurshid for allegedly making inflammatory statements.
Separate pleas have been filed by Jamia students who allege they were assaulted by the police during the campus violence. One such petitioner, Nabila Hasan, had approached the National Human Rights Commission, which later observed that the protest amounted to an unlawful assembly. The Delhi Police has maintained that CCTV footage

from the campus and surrounding areas was preserved in time and has opposed any transfer of investigation. The Supreme Court has repeatedly flagged the prolonged pendency of these cases. In December 2021 and again in October 2023, it urged the High Court to hear the matters expeditiously, noting that the petitions have remained pending for years.

Aaj Tak, Online News, 15/01/2026

Source: https://www.aajtak.in/india/news/story/jhatka-halal-debate-nhrc-notice-railway-board-fssai-culture-ministry-ntc-mnrd-rpti-2438842-2026-01-14

रेलवे की थाली में अब झटका vs हलाल पर बवाल, सिख संगठन की याचिका पर NHRC का नोटिस

भारतीय रेलवे में केवल हलाल मीट परोसने के आरोपों को लेकर विवाद गहरा गया है. सिख संगठन की याचिका पर NHRC ने रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. आयोग ने इसे भोजन के विकल्प के अधिकार, सिख धार्मिक आचार संहिता और रोजगार में भेदभाव से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है.
अमित भारद्वाज
नई दिल्ली, 14 जनवरी 2026,
(अपडेटेड 14 जनवरी 2026, 3:55 PM IST)
भारतीय रेलवे की थाली में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर झटका बनाम हलाल विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है. सिख संगठनों की ओर से दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है.
NHRC ने अपने नोटिस में कहा है कि अगर रेलवे में केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के भोजन के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है. साथ ही, इसे सिख धर्म की आचार संहिता यानी सिख रहत मर्यादा के खिलाफ भी बताया गया है.
NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे पर कहा, "सिख रहत मर्यादा सिखों को हलाल मांस के सेवन से रोकती है. अगर सिख उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी जा रही कि उन्हें किस तरह का मांस परोसा जा रहा है, तो यह उनके अधिकारों का सीधा उल्लंघन है."

Amar Ujala, Online News, 15/01/2026

Source: https://www.amarujala.com/delhi-ncr/ghaziabad/hello-i-am-the-joint-commissionerarrested-late-in-the-evening-ghaziabad-news-c-30-gbd1036-803086-2026-01-15

Ghaziabad News: हैलो, ज्वाइंट कमिश्नर हूं...देर शाम गिरफ्तार

गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jan 2026 01:18 AM IST
गाजियाबाद। डासना स्थित जिला कारागार के सरकारी लैंडलाईन नंबर पर खुद को एनएचआरसी का ज्वाइंट कमिश्नर बताकर रौब गालिब करने वाले को मसूरी पुलिस ने देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अरुण मिश्रा है और मेरठ के गंगानगर में रहता है।

Bharat Samachar, Online News, 15/01/2026

Source: https://bharatsamachartv.in/the-nhrc-has-taken-cognizance-of-a-petition-from-sikh-organizations-regarding-the-serving-of-halal-meat-in-railways-and-has-issued-a-notice/

रेलवे में हलाल मांस परोसने पर NHRC ने सिख संगठनों की याचिका पर संज्ञान लिया, नोटिस जारी…

NHRC ने कहा कि अगर रेलवे हलाल प्रमाणित मांस ही उपलब्ध करवा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के भोजन विकल्प के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि यात्रियों को मांस के प्रकार की पूर्व जानकारी न मिलना उनके अधिकारों का सीधे हनन के बराबर है।
Bharat Samachar Ad | January 14, 2026
1 minute read
(NHRC) ने भारतीय रेलवे में नॉनवेज थाली में केवल हलाल मांस परोसने के खिलाफ सिख संगठनों द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लिया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और संस्कृति मंत्रालय के सचिवों को नोटिस जारी कर दिया है।
बता दें, NHRC ने कहा कि अगर रेलवे हलाल प्रमाणित मांस ही उपलब्ध करवा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के भोजन विकल्प के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि यात्रियों को मांस के प्रकार की पूर्व जानकारी न मिलना उनके अधिकारों का सीधे हनन के बराबर है।
वहीं, आयोग ने संस्कृति मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सभी खान-पान संस्थानों पर मीट के प्रकार (हलाल या झटका) की स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित की जाए ताकि यात्रियों को अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप चयन करने में कोई कठिनाई न हो।
FSSAI को जारी नोटिस में कहा गया कि नॉनवेज उत्पादों के प्रमाणीकरण में हलाल या झटका का उल्लेख अनिवार्य होना चाहिए। इस दिशा में कदम उठाने से उपभोक्ता अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांस का चयन कर सकेंगे।
बता दें, कानूनगो ने धार्मिक पहलू पर भी चिंता जताते हुए कहा कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे के अनुसार हलाल बलि केवल मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है, जिससे हिंदू और दलित समुदाय पारंपरिक पशु वध और मांस व्यापार से वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए बताया कि मुस्लिम बहुल एतिहाद एयरलाइंस अपने यात्रियों को हलाल और झटका दोनों विकल्प देती है, जिससे यह मामला रेलवे की केटरिंग नीति पर सवाल उठाता है। पारदर्शिता की कमी के कारण धार्मिक और उपभोक्ता अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। NHRC की इस कार्रवाई से रेलवे को अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, और सुधार किया जा सके।

Dainik Bhaskar, Online News, 15/01/2026

Source: https://www.bhaskar.com/national/news/railway-board-halal-jhatka-report-nhrc-notice-136945193.html

ट्रेन में नॉनवेज खाना परोसने पर रेलवे को नोटिस:NHRC बोला- यात्रियों को पता होना चाहिए मीट हलाल है या झटका; चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली 2 घंटे पहले

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ट्रेन में परोसे जाने वाले नॉनवेज फूड को लेकर रेलवे बोर्ड और पर्यटन मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। NHRC ने सोमवार (12 जनवरी) को लेटर जारी किया। जिसमें कहा गया कि ट्रेनों में परोसे जा रहे नॉनवेज फूड को लेकर रेलवे से मांगी गई रिपोर्ट अधूरी है। कई जरूरी जानकारी साफ नहीं की गई हैं। रेलवे बोर्ड से नई रिपोर्ट मांगी है। चार हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा।

दरअसल, सिख संगठनों की ओर से NHRC को शिकायत मिली थी कि ट्रेनों में मिलने वाले मांसाहारी खाने में केवल हलाल तरीके से तैयार मांस परोसा जाता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इससे यात्रियों के साथ भेदभाव होता है। इसी शिकायत के बाद NHRC ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया था।

NHRC नोटीस की 4 बड़ी बातें

रेलवे की रिपोर्ट में सवाल का साफ जवाब नहीं दिया गया है। यात्रियों को यह जानने का मौलिक अधिकार है कि उन्हें जो खाना दिया जा रहा है। वह किस तरह तैयार किया गया है।

दारुल उलूम देवबंद के अनुसार मीट तभी हलाल माना जाता है जब उसका वध मुस्लिम स्खस ने किया हो। इससे यह आशंका बनती है कि दूसरे धर्मों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं।

मीट किस तरीके से तैयार किया गया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर दी जानी चाहिए। सिख रहत मर्यादा सिखों को हलाल मीट खाने से रोकती है।

IRCTC ट्रेनों, स्टेशनों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में बड़ी संख्या में वेंडरों और ठेकेदारों के साथ काम करता है। लेकिन रेलवे की रिपोर्ट में यह साफ नहीं बताया गया कि कौन से ठेकेदार हलाल मांस, झटका मांस या दोनों तरह का मांस परोसते हैं।

NHRC ने तीन जानकारी मांगीं

1. सभी फूड वेंडरों और ठेकेदारों की पूरी सूची दी जाए?
2. साफ बताए कि हर ठेकेदार किस तरह का मांस (हलाल, झटका या दोनों) देता है?
3. यह फूड किन ट्रेनों या स्टेशनों में परोसा जा रहा है?

आयोग ने रेलवे बोर्ड से यह भी पूछा है कि NHRC की इन बातों को रेलवे के गुणवत्ता और मानकों में कैसे शामिल किया जाएगा, इस पर अलग से रिपोर्ट दी जाए।

रेलवे का जवाब- हलाल पर कोई आधिकारिक नियम नहीं

रेलवे बोर्ड ने इससे पहले अपने रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय रेलवे और IRCTC, FSSAI के नियमों का पालन करते हैं। बोर्ड ने कहा कि ट्रेनों में हलाल प्रमाणित भोजन परोसने को लेकर कोई आधिकारिक नीति या व्यवस्था नहीं है।

यह मुद्दा पहले मुख्य सूचना आयोग (CIC) के सामने भी उठा था, जहां यह सामने आया कि हलाल भोजन से जुड़ी किसी नीति, मंजूरी प्रक्रिया या यात्रियों की सहमति का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

होटल नियमों पर पर्यटन मंत्रालय से जवाब मांगा

NHRC ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय की होटल रेटिंग और कैटेगरी के नियमों में यह बताने की कोई व्यवस्था नहीं है कि मांस किस तरीके से तैयार किया गया है। आयोग ने पर्यटन मंत्रालय के सचिव से इस पर विचार कर चार हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है।

Head Topics, Online News, 15/01/2026

Source: https://in.headtopics.com/news/23522375235423592457-78373552

रेलवे की थाली में हलाला बनान झटका विवाद, NHRC का एक्शन; FSSAI और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी

📆 14-01-2026 17:59:00
📆 14-01-2026 17:59:00
📰 News Nation

सिख संगठनों की ओर से दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन लिया है. इसके तहत रेलवे बोर्ड के साथ-साथ FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है.

"भारतीय रेलवे में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर चल रहा झटका बनाम हलाल विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है. सिख संगठनों की ओर से दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन लिया है.

इसके तहत रेलवे बोर्ड के साथ-साथ FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि यदि यात्रियों को बिना जानकारी दिए केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है.Advertisment सिख रहत मर्यादा से जुड़ा मामला NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए कहा कि सिख धर्म की आचार संहिता, यानी सिख रहत मर्यादा, हलाल मांस के सेवन की अनुमति नहीं देती. ऐसे में यदि सिख यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती कि भोजन झटका है या हलाल, तो यह उनके धार्मिक अधिकारों पर सीधा आघात है. आयोग का मानना है कि जानकारी छिपाना या अस्पष्ट रखना संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है. पारदर्शिता की मांग, लेबलिंग अनिवार्य करने पर जोर NHRC ने संस्कृति मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह देशभर के खाने-पीने के प्रतिष्ठानों और विशेष रूप से रेलवे से जुड़े कैटरिंग सिस्टम को निर्देश दे कि मीट के प्रकार को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए. वहीं FSSAI को भेजे गए नोटिस में आयोग ने कहा है कि नॉनवेज भोजन के सर्टिफिकेशन में यह साफ लिखा होना चाहिए कि मांस झटका है या हलाल. इससे उपभोक्ता अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार निर्णय ले सकेंगे. रोजगार और सामाजिक प्रभाव पर भी चिंता प्रियंक कानूनगो ने इस विवाद के एक और पहलू की ओर ध्यान दिलाया रोजगार का मुद्दा. उन्होंने कहा कि कुछ धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार हलाल मांस वही माना जाता है, जिसमें पशु बलि केवल मुसलमान द्वारा दी गई हो. इससे पारंपरिक रूप से मांस व्यवसाय से जुड़े हिंदू दलित समुदायों के रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं. आयोग ने इसे सामाजिक न्याय से जुड़ा गंभीर विषय बताया है. अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी दिए अपने बयान में NHRC सदस्य ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि कई वैश्विक कंपनियां यात्रियों को भोजन का विकल्प देती हैं. यहां तक कि मुस्लिम देश की एयरलाइन एतिहाद भी यात्रियों को हलाल और हिंदू झटका भोजन के अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराती है. ऐसे में भारतीय रेलवे जैसे सार्वजनिक संस्थान से भी इसी तरह की पारदर्शिता और संवेदनशीलता की उम्मीद की जा सकती है. आगे क्या? NHRC के नोटिस के बाद अब निगाहें रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के जवाब पर टिकी हैं. यह मामला न केवल भोजन की पसंद का है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, उपभोक्ता अधिकार और सामाजिक समानता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है.

Janbhawna Times, Online News, 15/01/2026

Source: https://www.thejbt.com/india/halal-versus-jhatka-meat-controversy-in-railway-meals-nhrc-raises-questions-issues-notice-to-railway-board-and-fssai-news-303376

रेलवे की थाली में हलाल बनाम झटका मांस विवाद...NHRC ने उठाए सवाल, रेलवे बोर्ड और FSSAI को जारी किया नोटिस

ट्रेन में यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर विवाद राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है. ये विवाद झटका बनाम हलाल को लेकर उत्पन्न हुई है. सिख संगठन की याचिका पर NHRC ने रेलवे बोर्ड, संस्कृतिक मंत्रालय और FSSAI को नोटिस जारी किया है.

Edited By: Utsav Singh

Last Updated : 14 January 2026, 04:06 PM IST

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर हलाल और झटका मांस का विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है. सिख संगठनों की ओर से दायर याचिका के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इस मामले में रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है. आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि अगर रेलवे में केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के भोजन के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है और साथ ही सिख धर्म की आचार संहिता, यानी सिख रहत मर्यादा के खिलाफ भी हो सकता है.

सिख रहत मर्यादा और उपभोक्ता अधिकार

आपको बता दें कि NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे पर कहा कि सिख रहत मर्यादा सिखों को हलाल मांस के सेवन से रोकती है. उन्होंने कहा कि अगर सिख उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी जा रही कि उन्हें किस प्रकार का मांस परोसा जा रहा है, तो यह उनके अधिकारों का सीधे उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा. कानूनगो ने जोर देकर कहा कि उपभोक्ताओं को अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार खाने का विकल्प चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए.

साफ-सफाई और पारदर्शिता पर जोर

NHRC ने संस्कृति मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह सभी खाने-पीने की दुकानों और संस्थानों को यह स्पष्ट करने का आदेश दे कि परोसा जाने वाला मांस झटका है या हलाल. आयोग का मानना है कि पारदर्शिता न होना न केवल धार्मिक स्वतंत्रता बल्कि उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है. इसी तरह, FSSAI को नोटिस में कहा गया कि नॉनवेज फूड के सर्टिफिकेशन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि मांस झटका है या हलाल. इससे उपभोक्ता सही निर्णय ले सकेंगे और किसी धार्मिक या व्यक्तिगत मान्यता का उल्लंघन नहीं होगा.

रोजगार और सामाजिक पहलू

प्रियंक कानूनगो ने रोजगार से जुड़े पहलू पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद के अनुसार हलाल वही माना जाता है जिसमें पशु बलि केवल मुसलमान द्वारा दी गई हो. इससे हिंदू दलित समुदायों के पारंपरिक रोजगार, जो पशु बलि और मांस बिक्री से जुड़े रहे हैं, पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि ग्राहकों को यह जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि उन्हें किस तरह का नॉनवेज परोसा जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण और समाधान

प्रियंक कानूनगो ने उदाहरण देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एयरलाइंस और होटलों में यात्रियों को हलाल और झटका मांस का विकल्प दिया जाता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में भी इस तरह के विकल्प उपलब्ध कराने से धार्मिक स्वतंत्रता और उपभोक्ता अधिकार दोनों की रक्षा हो सकती है. इस विवाद के चलते अब रेलवे, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय को व्यापक स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. इस तरह, झटका बनाम हलाल विवाद न केवल उपभोक्ता अधिकार का मामला बन गया है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और रोजगार से जुड़े सामाजिक पहलुओं पर भी राष्ट्रीय चर्चा को जन्म दे रहा है.

Lalluram, Online News, 15/01/2026

Source: https://lalluram.com/controversy-over-jhatka-vs-halal-non-veg-in-indian-railway-thali-nhrc-issues-notice-to-railway-board-fssai-and-ministry-of-culture/

भारतीय रेलवे की थाली में झटका Vs हलाल नॉनवेज पर बवालः सिख संगठन की याचिका पर NHRC ने रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया

Ravi Ranjan 14 Jan 2026, 04:22 PM
इंडियन रेलवे
Controversy over Jhatka vs Halal Non-Veg in Railway Thali: भारतीय रेलवे (Indian Railways) की थाली में झटका Vs हलाल नॉनवेज पर बवाल हो गया है। रेलवे की थाली में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर झटका बनाम हलाल मटन-चिकन (Mutton-Chicken) विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। सिख संगठन की याचिका पर NHRC ने रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे भोजन के विकल्प के अधिकार, सिख धार्मिक आचार संहिता और रोजगार में भेदभाव से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है।
NHRC ने अपने नोटिस में कहा है कि अगर रेलवे में केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के भोजन के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। साथ ही, इसे सिख धर्म की आचार संहिता यानी सिख रहत मर्यादा के खिलाफ भी बताया गया है।
NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे पर कहा कि सिख रहत मर्यादा सिखों को हलाल मांस के सेवन से रोकती है। अगर सिख उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी जा रही कि उन्हें किस तरह का मांस परोसा जा रहा है, तो यह उनके अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। प्रियंक कानूनगो ने रोजगार से जुड़े पहलू पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद के अनुसार हलाल वही माना जाता है जिसमें पशु बलि केवल मुसलमान द्वारा दी गई हो। इससे हिंदू दलित समुदायों को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है, जो परंपरागत रूप से पशु बलि और मांस बिक्री से जुड़े रहे हैं।
मुस्लिम देश का दिया उदाहरण
उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उन्हें किस तरह का नॉनवेज परोसा जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा कि यहां तक कि मुस्लिम देश की एविएशन कंपनी एतिहाद एयरलाइंस भी यात्रियों को हलाल और हिंदू झटका भोजन का विकल्प देती है।
झटका या हलाल होने की देनी होगी जानकारी
आयोग ने संस्कृति मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह सभी खाने-पीने की दुकानों और संस्थानों को निर्देश दे कि वे स्पष्ट रूप से यह दिखाएं कि परोसा जाने वाला मीट हलाल है या झटका। NHRC का मानना है कि पारदर्शिता न होना धार्मिक स्वतंत्रता और उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है। FSSAI को भेजे गए नोटिस में आयोग ने कहा है कि नॉनवेज फूड के सर्टिफिकेशन में इसका साफ तौर पर जिक्र होना चाहिए कि मीट झटका है या हलाल। इससे उपभोक्ता अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार निर्णय ले सकेंगे।

Source: https://navbharatlive.com/india/jhatka-vs-halal-in-railway-food-nhrc-issues-notice-on-demand-of-sikh-organisation-1515868.html

रेलवे की थाली में 'झटका' बनाम 'हलाल', सिख संगठन की मांग पर NHRC का रेलवे को नोटिस, जानें क्या है पूरा विवाद

Jhatka vs Halal Controversy: एनएचआरसी ने अपने नोटिस में कहा है कि अगर रेलवे में केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के भोजन के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।

By मनोज आर्या

Updated On: Jan 14, 2026 | 04:49 PM

Non-Veg Thali In Indian Railway: भारतीय रेलवे की थाली में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर झटका बनाम हलाल विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। सिख संगठनों की ओर से दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है।

एनएचआरसी ने अपने नोटिस में कहा है कि अगर रेलवे में केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के भोजन के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इसके साथ ही इसे सिख धर्म की आचार संहिता यानी सिख रहत मर्यादा के खिलाफ भी बताया गया है।

उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे पर कहा है कि सिख रहत मर्यादा सिखों को हलाल मांस के सेवन से रोकती है। अगर सिख उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी जा रही कि उन्हें किस तरह का मांस परोसा जा रहा है, तो यह उनके अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। आयोग ने संस्कृति मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह सभी खाने-पीने की दुकानों और संस्थानों को निर्देश दे कि वे स्पष्ट रूप से यह दिखाएं कि परोसा जाने वाला मीट हलाल है या झटका। NHRC का मानना है कि पारदर्शिता न होना धार्मिक स्वतंत्रता और उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है।

FSSAI को भेजे गए नोटिस में आयोग ने कहा है कि नॉनवेज फूड के सर्टिफिकेशन में इसका साफ तौर पर जिक्र होना चाहिए कि मीट झटका है या हलाल। इससे उपभोक्ता अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार निर्णय ले सकेंगे।

रोजगार से जुड़े पहलू पर गंभीर चिंता

प्रियंक कानूनगो ने रोजगार से जुड़े पहलू पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद के अनुसार हलाल वही माना जाता है जिसमें पशु बलि केवल मुसलमान द्वारा दी गई हो। इससे हिंदू दलित समुदायों को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है, जो परंपरागत रूप से पशु बलि और मांस बिक्री से जुड़े रहे हैं।

ग्राहकों को जानकारी का अधिकार

प्रियंक कानूनगो ने यह भी कहा कि ग्राहकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उन्हें किस तरह का नॉनवेज परोसा जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा कि यहां तक कि मुस्लिम देश की एविएशन कंपनी एतिहाद एयरलाइंस भी यात्रियों को हलाल और हिंदू झटका भोजन का विकल्प देती है।

Source: https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/ghaziabad/ghaziabad-dasna-jail-an-unknown-young-man-threatened-and-demanded-to-speak-to-jail-superintendent/articleshow/126518216.cms

हेल्लो! मैं जॉइंट सेक्रेटरी NHRC बोल रहा हूं... कहां हैं जेल अधीक्षक, डासना जिला कारागार में अनजान फोन से हड़कंप

Edited by: विवेक मिश्रा | नवभारत टाइम्स•14 Jan 2026, 10:47 am IST

यूपी के गाजियाबाद की डासना जेल के सरकारी नंबर पर एक अनजान शख्स ने कॉल किया और धौंस दिखाने लगा। बोला कि जेल अधीक्षक से कहो इसी नंबर पर फोन करें। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना स्थित जिला कारागार के सरकारी लैंडलाइन नंबर पर एक अनजान व्यक्ति ने फोन किया। खुद को जॉइंट सेक्रेटरी एनएचआरसी लखनऊ बताकर उसने जेल अधीक्षक से बात कराने की बात कही। इतना सुनते ही जेल वार्डर ने कॉलर की पहचान पूछी। कॉलर ने डीजी से बात करने और पूरे कारागार को मानवाधिकार आयोग में खड़ा करने की धमकी दी। इस मामले में मेरठ निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

मामले में जेल वार्डर देवेंद्र कुमार शर्मा ने मसूरी थाने में केस दर्ज कराया है। जेल वार्डर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 10 जनवरी की रात को कारागार के सरकारी लैंडलाइन नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने धमकी भरे अंदाज में खुद को जॉइंट सेक्रेटरी एनएचआरसी लखनऊ बताया और अमर्यादित भाषा में बात करते हुए कहा कि जेल अधीक्षक कहां है। उनका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है। अपने अधीक्षक से कहो तुरंत मेरे नंबर पर बात करें। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया और मसूरी थाने में केस दर्ज कराया है।

एसीपी मसूरी लिपि नगायच ने बताया कि मामले में आरोपी की पहचान मेरठ निवासी अरुण कुमार मिश्रा के रूप में हुई। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

Source: https://www.navodayatimes.in/news/delhi/jhatka-vs-halal-controversy-nhrc-cognizance-sikh-organisation-petition/284472/

झटका बनाम हलाल पर छिड़ा बवाल, सिख संगठन की याचिका पर NHRC ने लिया संज्ञान

Edited By National Desk,
Updated: 14 Jan, 2026 05:52 PM

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रेलवे की पैंट्री और ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मुद्दा झटका और हलाल मीट को लेकर है। एक सिख संगठन की ओर से दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में सिख संगठन ने आरोप लगाया है कि रेलवे की थालियों में हलाल पद्धति से तैयार मांस परोसा जा रहा है, जबकि सिख धर्म में झटका विधि को मान्यता दी गई है।

NHRC ने रेलवे, IRCTC से मांगा स्पष्टीकरण

संगठन का कहना है कि यात्रियों को भोजन की पद्धति की जानकारी नहीं दी जाती, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीर मानते हुए रेलवे मंत्रालय, IRCTC और संबंधित एजेंसियों से जवाब तलब किया है। आयोग ने यह भी पूछा है कि क्या यात्रियों को भोजन की प्रकृति और मांस की पद्धति के बारे में कोई विकल्प या जानकारी दी जाती है या नहीं।

सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं

रेलवे के भोजन को लेकर पहले भी गुणवत्ता और कीमतों पर सवाल उठते रहे हैं। अब धार्मिक पहचान और भोजन की पसंद का यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप लेता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर भी झटका बनाम हलाल को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अगर NHRC को याचिका में उठाए गए बिंदुओं में दम नजर आता है, तो रेलवे को अपनी कैटरिंग नीति में बदलाव करना पड़ सकता है। इसमें यात्रियों को विकल्प देने या स्पष्ट लेबलिंग जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है।

News Nation, Online News, 15/01/2026

Source: https://www.newsnationtv.com/india/railway-meal-controversy-halal-vs-jhatka-meat-debate-nhrc-takes-action-issues-notices-to-fssai-and-ministry-of-culture-10998442

रेलवे की थाली में हलाला बनाम झटका विवाद, NHRC का एक्शन; FSSAI और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी

14 Jan 2026 18:27 IST

भारतीय रेलवे में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर चल रहा झटका बनाम हलाल विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है. सिख संगठनों की ओर से दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक्शन लिया है. इसके तहत रेलवे बोर्ड के साथ-साथ FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि यदि यात्रियों को बिना जानकारी दिए केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है.

सिख रहत मर्यादा से जुड़ा मामला

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए कहा कि सिख धर्म की आचार संहिता, यानी सिख रहत मर्यादा, हलाल मांस के सेवन की अनुमति नहीं देती. ऐसे में यदि सिख यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती कि भोजन झटका है या हलाल, तो यह उनके धार्मिक अधिकारों पर सीधा आघात है. आयोग का मानना है कि जानकारी छिपाना या अस्पष्ट रखना संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है.

पारदर्शिता की मांग, लेबलिंग अनिवार्य करने पर जोर

NHRC ने संस्कृति मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह देशभर के खाने-पीने के प्रतिष्ठानों और विशेष रूप से रेलवे से जुड़े कैटरिंग सिस्टम को निर्देश दे कि मीट के प्रकार को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए. वहीं FSSAI को भेजे गए नोटिस में आयोग ने कहा है कि नॉनवेज भोजन के सर्टिफिकेशन में यह साफ लिखा होना चाहिए कि मांस झटका है या हलाल. इससे उपभोक्ता अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार निर्णय ले सकेंगे.

रोजगार और सामाजिक प्रभाव पर भी चिंता

प्रियंक कानूनगो ने इस विवाद के एक और पहलू की ओर ध्यान दिलाया रोजगार का मुद्दा. उन्होंने कहा कि कुछ धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार हलाल मांस वही माना जाता है, जिसमें पशु बलि केवल मुसलमान द्वारा दी गई हो. इससे पारंपरिक रूप से मांस व्यवसाय से जुड़े हिंदू दलित समुदायों के रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं. आयोग ने इसे सामाजिक न्याय से जुड़ा गंभीर विषय बताया है.

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी दिए

अपने बयान में NHRC सदस्य ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि कई वैश्विक कंपनियां यात्रियों को भोजन का विकल्प देती हैं. यहां तक कि मुस्लिम देश की एयरलाइन एतिहाद भी यात्रियों को हलाल और हिंदू झटका भोजन के अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराती है. ऐसे में भारतीय रेलवे जैसे सार्वजनिक संस्थान से भी इसी तरह की पारदर्शिता और संवेदनशीलता की उम्मीद की जा सकती है.

आगे क्या?

NHRC के नोटिस के बाद अब निगाहें रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के जवाब पर टिकी हैं. यह मामला न केवल भोजन की पसंद का है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, उपभोक्ता अधिकार और सामाजिक समानता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है.

Source: https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/ghaziabad-ghaziabad-dasna-jail-unknown-caller-caused-stir-asking-warder-do-you-know-who-i-am-get-jail-superintendent-on-phone-10064454.html

डासना जेल में अनजान फोन से हड़कंप, जेल वार्डर से बोला- 'तुम्हें पता है मैं कौन हूं? जेल अधीक्षक को लाओ फोन पर

Written by: रविशंकर सिंह
Agency :News18Hindi
Last Updated: January 14, 2026, 12:30 IST

Dasna Jail Ghaziabad News: गाजियाबाद के डासना जेल में एक अनजान फोन कॉल ने पूरी रात अधिकारियों की नींद हराम कर दिया. रातभर अधिकारी खोजते रहे कि आखिर वह कौन शख्स है, जिसने मानवाधिकार आयोग का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनकर जेल में फोन किया? उस शख्स को रात को फोन करने का क्या मकसद था? क्या सचमुच में फोन करने वाला अधिकारी मानवाधिकार आयोग का था या फिर कोई फर्जी अधिकारी बनकर गुमराह तो नहीं किया है?

गाजियाबाद. रात के करीब 8:45 बज रहे थे. गाजियाबाद के डासना जिला कारागार का लैंडलाइन अचानक बज उठा. दूसरी तरफ से एक गंभीर, अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी. 'हैलो, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लखनऊ का संयुक्त सचिव अमित पांडेय बोल रहा हूं. जेल अधीक्षक को तुरंत फोन पर लाओ. मामला बहुत गंभीर है!' कारागार में तैनात जेल वार्डर देवेंद्र कुमार शर्मा, जो उस वक्त गेट कीपर का भी प्रभार संभाल रहे थे, चौंक गए. आवाज में इतना दबदबा था कि लगा कोई बड़ा अधिकारी सच में बात कर रहा है. उसने कहा- 'सर, अधीक्षक जी अवकाश पर हैं. उनका नंबर नहीं लग रहा?' सामने वाले ने हकलाते हुए पूछा अवकाश? मुझे सब पता है!' आवाज और उग्र हो गई. 'तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अगर तुरंत अधीक्षक से बात नहीं कराई तो मैं डीजी जेल से बात करूंगा. लखनऊ में हंगामा मचा दूंगा. पूरा कारागार मानवाधिकार आयोग में खड़ा हो जाएगा! सुबह 10 बजे सारी फाइलें तैयार रखना, मेरे साथ बात करनी है.

देवेंद्र के हाथ कांपने लगे. जेल में हड़कंप मच गया. अधीनस्थों ने जल्दबाजी में अधीक्षक को फोन लगाया. अधीक्षक ने उसी नंबर पर पूछा, 'कौन बोल रहे हैं? सामने से जवाब आया अमित पांडेय, संयुक्त सचिव, NHRC लखनऊ. अधीक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, 'लेकिन NHRC का मुख्यालय तो दिल्ली में है, लखनऊ में संयुक्त सचिव का पद ही नहीं है!' फोन कट गया. लेकिन कॉलर का मोबाइल नंबर ट्रेस हो चुका था. पुलिस ने जांच की. नंबर मेरठ के गंगानगर बी-55 निवासी अरुण कुमार मिश्रा का निकला. अरुण पहले भी धोखाधड़ी के कई मामलों में जेल जा चुका था. वह यूट्यूब पर एक फेक न्यूज़ चैनल चलाता था. खुद को मीडियाकर्मी बताकर अधिकारियों को फोन करता, धमकाता और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता.

कौन था वह अधिकारी, जिसने डासना जेल में किया फोन?

अब इस मामले को जेल प्रशासन ने 12 जनवरी को मसूरी थाने में केस दर्ज कराया है. अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पता चला कि वह अक्सर ऐसे ही फर्जी पहचान बनाकर लोगों को डराता था. इस बार जेल प्रशासन पर उसका जाल उल्टा पड़ गया. अब अरुण खुद उसी डासना जेल में बंद है, जहां उसने धमकी दी थी. शायद अब वह सोच रहा होगा अधिकार की आड़ में डराना आसान लगता है, लेकिन सच सामने आते ही जाल खुद-ब-खुद टूट जाता है.

छेड़छाड़ और उगाही का मामला

मेरठ के गंगानगर बी-55 निवासी अरुण कुमार मिश्रा कोई नया चेहरा नहीं है अपराध की दुनिया में. उसका क्रिमिनल इतिहास 2010 के दशक से चला आ रहा है. धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, छेड़छाड़, उगाही और फर्जी पहचान बनाकर अफसरों को धमकाने जैसे कई मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है. 8 मार्च 2013 को न्यू प्रभात नगर मेरठ की एक महिला ने अरुण मिश्रा पर अश्लील हरकत और उगाही का आरोप लगाते हुए इंचौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इस केस में वह जेल गया था. साल 2017 में अरुण ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का मुख्य सचिव बताकर मेरठ के तत्कालीन एसएसपी को फोन कर धमकी दी. मोबाइल डिटेल से पकड़ा गया और जेल भेजा गया. रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वह इससे पहले भी दो बार जेल जा चुका था. एक धोखाधड़ी और दूसरा छेड़छाड़/उगाही में. उसने दावा किया कि फोन चोरी हो गया था, लेकिन पुलिस ने नहीं माना.

लखनऊ में धोखाधड़ी और मारपीट

साल 2022 में लखनऊ के मोहनलाल गंज थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस उसकी तलाश में गंगानगर पहुंची, लेकिन वह फरार था. रिपोर्ट में कहा गया कि वह गंगानगर, लालकुर्ती समेत कई थानों से पहले भी जेल जा चुका है. अब डासना जेल के उसी फोन पर धमकी देने के बाद वह खुद उसी जेल में बंद है. पुलिस जांच में उसके पुराने रिकॉर्ड सामने आए, जिससे साबित होता है कि यह उसका पक्का धंधा रहा है. फर्जी

पहचान, धमकी, और फिर ब्लैकमेल. बार-बार जेल जाने से सबक नहीं लेता, तो कानून खुद सबक सिखाता है. अरुण मिश्रा जैसे लोग अक्सर उसी जाल में फंस जाते हैं, जो वे दूसरों के लिए बुनते हैं.

News24 Hindi, Online News, 15/01/2026

Source: https://hindi.news24online.com/india/if-airlines-have-this-option-why-not-railways-nhrc-takes-cognizance-of-jhatka-vs-halal-issue/1466659/

जब एयरलाइंस में ऑप्शन है तो रेलवे में क्यों नहीं? झटका Vs हलाल मामले पर NHRC ने लिया संज्ञान

FSSAI को नोटिस में कहा गया कि नॉनवेज उत्पादों के प्रमाणीकरण में झटका या हलाल का उल्लेख अनिवार्य हो, ताकि उपभोक्ता अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप चयन कर सकें.

Written By: Akarsh Shukla Updated: Jan 14, 2026 18:55

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने भारतीय रेलवे में नॉनवेज थाली में केवल हलाल मांस परोसने के खिलाफ सिख संगठनों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और संस्कृति मंत्रालय के सचिवों को नोटिस जारी किया है. आयोग का कहना है कि अगर रेलवे हलाल प्रमाणित मांस ही उपलब्ध करा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के भोजन विकल्प के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.

NHRC ने आग कहा कि सिख रहत मर्यादा के अनुसार हलाल मांस का सेवन वर्जित होने से धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है. एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को मांस के प्रकार की पूर्व जानकारी न मिलना उनके अधिकारों का सीधा हनन है. आयोग ने संस्कृति मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि सभी खान-पान संस्थानों पर मीट हलाल या झटका होने की स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित की जाए.

FSSAI को नोटिस में कहा गया कि नॉनवेज उत्पादों के प्रमाणीकरण में झटका या हलाल का उल्लेख अनिवार्य हो, ताकि उपभोक्ता अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप चयन कर सकें. कानूनगो ने रोजगार के पहलू पर चिंता जताते हुए कहा कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे के अनुसार हलाल बलि केवल मुस्लिम द्वारा होनी चाहिए, जिससे हिंदू दलित समुदाय परंपरागत पशु वध और मांस व्यापार से वंचित हो रहा है.

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए उल्लेख किया कि मुस्लिम बहुल एतिहाद एयरलाइंस भी यात्रियों को हलाल और झटका विकल्प देती है. यह विवाद रेलवे की केटरिंग नीति पर सवाल खड़े करता है, जहां पारदर्शिता की कमी से धार्मिक और उपभोक्ता अधिकार प्रभावित हो रहे हैं. एनएचआरसी की कार्रवाई से रेलवे को अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की नौबत आ सकती है.

News4nation, Online News, 15/01/2026

Source: https://news4nation.com/amp/delhi/railways-halal-vs-jhatka-meat-controversy-nhrc-notice-fssa-676355

हलाल या झटका..., यात्रियों को परोसे जा रहे नॉनवेज पर रेलवे मुश्किलों में घिरा, मानवाधिकार ने भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला

Edited By : Anubh Suman | Jan 14 2026 4:20 PM

N4N Desk - भारतीय रेलवे में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर 'झटका बनाम हलाल' विवाद अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। सिख संगठनों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग का मानना है कि केवल हलाल मांस परोसा जाना न केवल उपभोक्ताओं के भोजन के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि यह सिख धर्म की आचार संहिता के भी खिलाफ है।

सिख धर्म की मर्यादा और उपभोक्ता अधिकार

NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने स्पष्ट किया कि 'सिख रहत मर्यादा' सिखों को हलाल मांस के सेवन से सख्ती से रोकती है। उन्होंने कहा कि यदि सिख यात्रियों को यह जानकारी दिए बिना मांस परोसा जा रहा है कि वह किस प्रक्रिया से तैयार है, तो यह उनके धार्मिक और उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। आयोग ने मांग की है कि यात्रियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोजन चुनने की आजादी मिलनी चाहिए।

पारदर्शिता के लिए कड़े निर्देश

आयोग ने संस्कृति मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सभी खान-पान संस्थानों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वे स्पष्ट रूप से दर्शाएं कि परोसा जाने वाला मीट 'हलाल' है या 'झटका'। साथ ही, FSSAI को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि नॉनवेज फूड सर्टिफिकेशन में इसका साफ जिक्र होना चाहिए। आयोग ने एतिहाद एयरलाइंस का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मुस्लिम देशों की कंपनियां विकल्प दे सकती हैं, तो भारत में यह पारदर्शिता क्यों नहीं है?

रोजगार और सामाजिक पहलू पर चिंता

प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे के आर्थिक और सामाजिक पहलू को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हलाल की अनिवार्य शर्तों (जिसमें बलि केवल मुस्लिम द्वारा दी गई हो) के कारण हिंदू दलित समुदायों को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ता है, जो परंपरागत रूप से इस व्यवसाय से जुड़े रहे हैं। आयोग ने इस 'एकाधिकार' को रोजगार के समान अवसर के विरुद्ध माना है।

Source: https://npg.news/national/railway-halal-vs-jhatka-controversy-railway-ki-thali-mein-jhatka-banam-halal-manvadhikar-ayog-ne-railway-board-ko-thamaya-notice-poocha-yatriyon-ko-kyon-nahi-mil-raha-vikalp-padhein-poori-khabar-1303565

Railway Halal vs Jhatka Controversy : रेलवे की थाली में झटका बनाम हलाल : मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड को थमाया नोटिस, पूछा-यात्रियों को क्यों नहीं मिल रहा विकल्प? पढ़े पूरी खबर

UMA14 जनवरी 2026

Railway Halal vs Jhatka Controversy : नई दिल्ली : भारतीय रेलवे के खान-पान को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, अब मामला केवल खाने के स्वाद का नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और पसंद के अधिकार का बन गया है, एक सिख समुदाय के शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सख्त और कड़ा रुख अपनाया है, आयोग ने रेलवे बोर्ड, खाद्य सुरक्षा नियामक और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी कर इस पूरे मुद्दे पर जवाब मांगा है

Railway Halal vs Jhatka Controversy : क्या है असली विवाद

पूरा विवाद रेलवे में परोसे जाने वाले नॉन-वेज यानि मांसाहार खाने को लेकर है, सिख समुदाय का आरोप है की रेलवे में यात्रियों को केवल हलाल मीट परोसा जा रहा है सिख धर्म की मान्यताओं के अनुसार, उनके लिए हलाल मांस खाना वर्जित है, उनकी मांग है की रेलवे को दूसरा झटका विकल्प भी देना चाहिए, आयोग का कहना है की अगर यात्रियों को यह नहीं बताया जा रहा की उन्हें किस तरह का मीट परोसा जा रहा है, तो यह उनके अधिकारों का सीधा उल्लंघन है

पारदर्शिता और जानकारी की मांग

मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे पर स्पष्ट कहा की ग्राहकों को यह जानने का पूरा हक है की उनकी थाली में क्या है, आयोग ने संस्कृति मंत्रालय को निर्देश देने को कहा है की सभी होटलों और खाने-पीने की जगहों पर यह साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि मीट हलाल है या झटका इसके अलावा FSSAI से भी कहा गया है की खाने के पैकेट या सर्टिफिकेशन में इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से खाना खा सके

रोजगार में भेदभाव का भी उठा मुद्दा

इस विवाद में एक और गंभीर पहलू सामने आया है जो रोजगार का, आयोग का कहना है की हलाल की शर्तों के मुताबिक, पशु की बलि केवल एक विशेष समुदाय का व्यक्ति ही दे सकता है, इससे दूसरे समुदायों, खासकर हिंदू दलित वर्ग के उन लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ जायेगा है जो लम्बे समय से इस काम को करते आ रहे हैं, आयोग ने कहा ये आर्थिक भेदभाव का मुद्दा है

विदेशों का दिया उदाहरण

आयोग ने उदाहरण दिया की जब मुस्लिम देशों की एयरलाइंस जैसे एतिहाद एयरवेज अपने यात्रियों को हलाल और झटका दोनों तरह के भोजन का विकल्प दे सकते हैं, तो भारतीय रेलवे में ऐसी पारदर्शिता क्यों नहीं हो सकती, आयोग का मानना है की खाने के विकल्प उपलब्ध न कराना न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, बल्कि यह उपभोक्ता के अधिकारों को भी ठेस पहुँचाने जैसा है

Punjab Kesari, Online News, 15/01/2026

Source: https://www.punjabkesari.in/national/news/railway-news-railway-board-jhatka-halal-nhrc-railway-board-fssai-halal-meat-2276991

Railway News: हलाल मांस परोसने का मामला: रेलवे के भोजन को लेकर NHRC का नोटिस, FSSAI को दिए निर्देश

Edited By Anu Malhotra, Updated: 14 Jan, 2026 04:12 PM

भारतीय रेलवे में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर लंबे समय से दबा हुआ विवाद अब राष्ट्रीय मंच पर आ गया है। “झटका बनाम हलाल” बहस ने कानूनी और संवैधानिक रूप ले लिया है। सिख संगठनों की ओर से दायर शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने...

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर लंबे समय से दबा हुआ विवाद अब राष्ट्रीय मंच पर आ गया है। “झटका बनाम हलाल” बहस ने कानूनी और संवैधानिक रूप ले लिया है। सिख संगठनों की ओर से दायर शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रेलवे बोर्ड, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को औपचारिक नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि यदि रेलवे यात्रियों को केवल हलाल मांस परोस रहा है और इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से नहीं दी जा रही, तो यह उपभोक्ताओं के चयन के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता—दोनों पर चोट हो सकती है।

सिख रहत मर्यादा का हवाला, पारदर्शिता पर सवाल

NHRC ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि सिख धर्म की आचार संहिता, जिसे सिख रहत मर्यादा कहा जाता है, सिखों को हलाल मांस के सेवन की अनुमति नहीं देती। ऐसे में यदि सिख यात्रियों को यह नहीं बताया जा रहा कि परोसा गया मांस किस विधि से तैयार किया गया है, तो यह उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है।

NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे पर कहा कि जानकारी छिपाना किसी भी उपभोक्ता के साथ अन्याय है। उनके अनुसार, यात्रियों को यह जानने का पूरा हक है कि वे जो भोजन कर रहे हैं, वह उनकी आस्था और व्यक्तिगत विश्वासों के अनुरूप है या नहीं।

संस्कृति मंत्रालय और FSSAI को भी निर्देश

आयोग ने संस्कृति मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह देशभर के खाने-पीने से जुड़े संस्थानों और दुकानों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे, ताकि यह साफ तौर पर दर्शाया जाए कि मांस हलाल है या झटका। NHRC का मानना है कि ऐसी पारदर्शिता का अभाव न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों के भी खिलाफ है।

वहीं FSSAI को भेजे गए नोटिस में आयोग ने कहा है कि नॉनवेज खाद्य पदार्थों के प्रमाणन में यह अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए कि मांस किस पद्धति से तैयार किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी धार्मिक और निजी मान्यताओं के अनुसार विकल्प चुनने में आसानी होगी।

रोजगार से जुड़ा संवेदनशील पहलू भी उठा

प्रियंक कानूनगो ने इस विवाद के सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद की व्याख्या के अनुसार हलाल मांस वही माना जाता है, जिसमें पशु बलि केवल मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दी गई हो। इसका असर यह होता है कि हिंदू दलित समुदाय, जो पारंपरिक रूप से पशु बलि और मांस व्यापार से जुड़े रहे हैं, रोजगार के अवसरों से बाहर हो जाते हैं। उनका कहना है कि यह मामला सिर्फ भोजन की पसंद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समान अवसर और आजीविका से भी जुड़ा हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी सामने रखा

अपने बयान में कानूनगो ने अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां तक कि मुस्लिम देशों की एयरलाइंस भी यात्रियों को विकल्प देती हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि एतिहाद एयरलाइंस जैसी कंपनियां यात्रियों को हलाल और हिंदू झटका भोजन में से चुनने की सुविधा देती हैं।

Source: https://www.rajexpress.com/en/mp-cgnews/sagar-chandamau-fire-incident-two-brothers-died-nhrc-team-visits

सागर के चांदामऊ अग्निकांड की जांच तेज: दिल्ली से पहुंची NHRC की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीड़ित परिवार से होगी पूछताछ

Wed, 14 Jan, 2026
3 min read

सागर जिले के जरुआखेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम चांदामऊ में हुए हृदयविदारक अग्निकांड के मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है। घटना के करीब 45 दिन बीत जाने के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली की एक विशेष टीम जांच के लिए गांव पहुंची।

घटनास्थल का मुआयना और साक्ष्यों का संकलन

दिल्ली से आए मानवाधिकार आयोग के दल में ईसन सिंह और निरीक्षक रामनाथ शामिल थे। टीम ने सबसे पहले उस मकान का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां 4 दिसंबर की रात आग लगी थी। टीम ने जले हुए अवशेषों को देखा और घटना की भयावहता का आकलन किया। इस दौरान टीम ने गांव के सरपंच और आसपास रहने वाले ग्रामीणों के बयान भी दर्ज किए ताकि घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें।

घर पर नहीं मिला पीड़ित परिवार

प्राप्त जानकारी अनुसार जांच के दौरान टीम को घटनास्थल पर पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं मिला। ग्रामीणों से जानकारी मिलने के बाद टीम ने फोन के माध्यम से परिवार से संपर्क किया। पीड़ित पक्ष ने फिलहाल सागर शहर में होने की बात कही है। मानवाधिकार आयोग की टीम अब जल्द ही अस्पताल में उपचाराधीन बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के विस्तृत बयान दर्ज करेगी।

क्या था पूरा मामला?

यह घटना 4 दिसंबर की रात की है। चांदामऊ गांव में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई थी, जिसमें सो रहे दो भाई और उनकी एक बहन बुरी तरह झुलस गए थे।

7 दिसंबर: इलाज के दौरान छोटे बेटे ने दम तोड़ दिया।

13 दिसंबर: गंभीर रूप से झुलसे बड़े बेटे की भी मौत हो गई।

वर्तमान स्थिति: घर की बेटी अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में जीवन की जंग लड़ रही है।

सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक सरगर्मी

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने गांव के ही फईम खान नामक व्यक्ति पर घर में आग लगाने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले ने धीरे-धीरे बड़ा रूप ले लिया और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ही अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसमें हस्तक्षेप किया है।मानवाधिकार आयोग की इस सक्रियता से गांव में हलचल तेज है। अब सबकी नजरें आयोग की उस रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो पीड़ित परिवार और अस्पताल में भर्ती बेटी के बयानों के बाद तैयार की जाएगी।

Star Samachar, Online News, 15/01/2026

Source: https://www.starsamachar.com/indian-railway-irctc-halal-vs-jhatka-meat-labeling-nhrc-notice-update

NHRC ने हलाल और झटका मांस की स्पष्ट लेबलिंग के लिए IRCTC को दिया नोटिस।

भारतीय रेलवे में अब हलाल और झटका मीट का विवाद खत्म होगा। NHRC ने IRCTC और FSSAI को निर्देश दिया है कि यात्रियों को परोसे जाने वाले मांस की स्पष्ट जानकारी दी जाए। जानें क्या हैं नए नियम।
By: Ajay Tiwari
Jan 14, 20264:19 PM
नई दिल्ली. स्टार समाचार वेब
भारतीय रेलवे (Indian Railways) में यात्रा के दौरान मांसाहारी भोजन करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। अक्सर धार्मिक मान्यताओं के कारण यात्री इस उलझन में रहते थे कि उन्हें परोसा जा रहा मांस 'हलाल' है या 'झटका'। अब इस संशय को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कड़ा रुख अपनाया है।
NHRC ने क्यों दिया नोटिस?
आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने IRCTC, FSSAI और पर्यटन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि खान-पान की संस्थाएं मांस के प्रकार को सार्वजनिक नहीं कर रही हैं। आयोग का मानना है कि उपभोक्ताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वे क्या खा रहे हैं।
प्रमुख निर्देश और बदलाव:
IRCTC के लिए आदेश: रेलवे के सभी वेंडरों और ठेकेदारों को अब स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि वे कौन सा मांस बेच रहे हैं। यह जानकारी यात्रियों के लिए मेन्यू या पैकेट पर उपलब्ध करानी होगी।
FSSAI की भूमिका: खाद्य नियामक संस्था से कहा गया है कि वह लेबलिंग की ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे सिख और अन्य धर्मों की भावनाओं का सम्मान हो सके।
होटल रैंकिंग में बदलाव: अब होटलों की स्टार रेटिंग में भी इस बात पर विचार किया जाएगा कि वे मांस के वर्गीकरण (हलाल/झटका) को कैसे दर्शाते हैं।
जीविका का अधिकार: आयोग ने तर्क दिया कि केवल 'हलाल' की अनिवार्यता से हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम मांस विक्रेताओं के व्यापार पर बुरा असर पड़ता है। इस स्पष्टता से उनके अधिकारों की भी रक्षा होगी।
रेलवे और संबंधित विभागों को इस पर 4 हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब देने को कहा गया है।
अभी तक की स्थिति
1. लेबलिंग का अभाव (No Clear Labeling)
ट्रेन में मिलने वाले चिकन या मीट के पैकेट पर यह कहीं भी नहीं लिखा होता था कि वह 'हलाल' (Halal) है या 'झटका' (Jhatka)। आईआरसीटीसी (IRCTC) के मेन्यू कार्ड पर केवल 'Veg' या 'Non-Veg' के निशान (हरा और लाल बिंदु) होते थे। यात्रियों को वेंडर के भरोसे ही रहना पड़ता था।
2. 'हलाल' का अघोषित एकाधिकार
ज्यादातर रेलवे कैटरर्स और सप्लायर्स अपनी सुविधा के लिए केवल 'हलाल' सर्टिफाइड मीट ही रखते थे। इसका कारण यह था कि मुसलमान केवल हलाल मांस खाते हैं, जबकि हिंदू या सिख आमतौर पर झटका मांस पसंद करते हैं लेकिन मजबूरी में हलाल खा लेते थे। इसलिए, विवाद से बचने के लिए वेंडर केवल एक ही तरह का मांस (हलाल) सर्व करते थे।
3. धार्मिक भावनाओं का संकट
सिख धर्म: सिख धर्म में 'कुट्ठा' (हलाल) मांस खाना वर्जित है। लेबलिंग न होने के कारण सिख यात्री अक्सर ट्रेन में मांसाहार छूते भी नहीं थे।
हिंदू धर्म: कई हिंदू यात्री भी 'झटका' मांस को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें संशय रहता था।
4. पारदर्शिता की कमी
अगर कोई यात्री वेंडर से पूछता भी था कि मांस किस प्रकार का है, तो वेंडर के पास कोई आधिकारिक प्रमाण या सर्टिफिकेट दिखाने की व्यवस्था नहीं होती थी। अक्सर वेंडर सिर्फ मौखिक आश्वासन देकर खाना बेच देते थे।
5. छोटे विक्रेताओं को नुकसान
चूंकि 'हलाल' सर्टिफिकेशन की मांग अधिक थी, इसलिए वे कसाई या विक्रेता जो 'झटका' मीट बेचते थे, उन्हें रेलवे के टेंडर या सप्लाई चेन में जगह मिलना

मुश्किल होता था।